

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,  
विकास प्राधिकरण, बरेली, गाजियाबाद, बुलन्दशहर-खुर्जा,  
हापुड-पिलखुआ, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त,  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
3. मुख्य नगर अधिकारी,  
नगर निगम,  
मेरठ एवं गाजियाबाद।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक- 7 अप्रैल, 2000

विषय: उत्तर प्रदेश प्रभाग में एन0सी0आर0 योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं हेतु एन0सी0आर0 योजना खाते की स्थापना।

महोदय,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा उ0प्र0 प्रभाग में विभिन्न अभिकरणों की विकास योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा प्रदेश शासन के माध्यम से धनराशि इन अभिकरणों को उपलब्ध करायी जाती है। उक्त परियोजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी अपने अंश के रूप में ऋण राशि संबंधित अभिकरणों के लिए अवमुक्त की जाती है। समस्त ऋण राशि ब्याज सहित एन.सी.आर. योजना बोर्ड को निर्धारित अवधि में प्रतिदान करने हेतु प्रत्येक अभिकरण उत्तरदायी है। यह देखा गया है कि विभिन्न कारणों से ये अभिकरण उक्त ऋण एवं ब्याज का प्रतिदान निर्धारित समय पर नहीं कर पाते हैं तथा अभिकरण पर भार बढ़ता जाता है इसके लिये वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। शासन द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में दिशा निदेश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक अभिकरण द्वारा एन.सी.आर. योजनाओं के लिये अपने सामान्य खाते से अलग राष्ट्रीयकृत बैंक में एक एन.सी.आर. योजना/खाता की स्थापना की जायेगी जिसके संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्थायें एवं प्रक्रियायें सुनिश्चित की जायेंगी :-

1. एन. सी. आर. योजनाओं के लिए एन.सी.आर. योजना बोर्ड, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त समस्त ऋण/अनुदान राशि एन.सी.आर. योजना खाते में रखी जायेगी।

2. ऋण की माँग करते समय अभिकरण द्वारा जिस सम्पत्ति के निस्तारण से होने वाली आय को ऋण एवं ब्याज के प्रतिदान हेतु प्रस्तावित किया गया है उसकी आय अनिवार्य रूप से योजना खाते में ही रखी जायेगी। यह उपाध्यक्ष/सचिव एवं वित्त लेखा के वरिष्ठतम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदरायित्व होगा। यदि कोई भी विचलन का प्रयास भी किया जाये तो वित्त/लेखा के उस प्रमुख द्वारा सीधे प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन तथा सचिव, आवास विभाग को तत्काल अवगत कराया जायेगा। इस आय से प्रतिदान पूर्ण करने के उपरान्त अवशेष धनराशि का ही उपयोग अभिकरण द्वारा अन्य कार्यों पर किया जायेगा।

3. प्रत्येक योजना के लिये एक पृथक खाता खोला जाये, जिसमें उस योजना के अन्तर्गत सृजित सम्पत्ति के निस्तारण से प्राप्त समस्त आय की धनराशि रखी जायेगी। उक्त धनराशि से ऋण एवं ब्याज का प्रतिदान किया जायेगा। प्रतिदान पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष धनराशि को ही अभिकरण द्वारा अन्य विकास कार्यों पर व्यय किया जायेगा।

4. प्रत्येक अभिकरण द्वारा एन.सी.आर. योजना कोष एवं सभी योजनाओं के खातों की प्रतिवर्ष सम्परीक्षा करायी जायेगी तथा वार्षिक बैलेंस शीट एन.सी.आर. सेल एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. प्रत्येक अभिकरण द्वारा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ ऋण एवं ब्याज के प्रतिदान का विवरण भी एन.सी.आर. सेल कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. समय-समय पर उक्त योजना कोष एवं खातों की जांच एन.सी.आर. सेल, योजना बोर्ड एवं शासन के अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

अतः अपेक्षा की जाती है कि एन.सी.आर. योजनाओं के लिये उपरोक्त व्यवस्थानुसार योजना खाते एवं प्रत्येक योजना की आय के लिये अलग खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थापित कराकर कोष/खातों की सूचना एन.सी.आर. सेल कार्यालय गाजियाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराने तथा योजना कोष/खातों के संचालन हेतु निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव

संख्या – 1224(1)/9-आ-1-2000-3एनसीआर/2000, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, एनसीआर सेल, गाजियाबाद।
2. अध्यक्ष/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार  
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग - 1

संख्या-1434/9-आ-1-2001-8 एन.सी.आर./2000 टी.सी.-1

लखनऊ : दिनांक 7 अप्रैल, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली से दिल्ली के समीपस्थ नगरों के समेकित विकास हेतु ऋण प्राप्त किया जाता है जिससे कि दिल्ली की ओर जनसंख्या के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के एन0सी0आर0 उपक्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नई दिल्ली से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु एक एनसीआर नियोजन प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश एनसीआर उपक्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं हैं। इस कारण एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त हो सकने वाली वित्तीय सहायता का एक अंश ही प्राप्त हो पाया है। इसका मुख्य कारण यह पाया गया कि एन0सी0आर0, उत्तर प्रदेश के नियोजन प्रकोष्ठ में सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था का अभाव है।

2- अतः इस व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नानुसार एन0सी0 आर0 (उ0प्र0) समन्वय परिषद के गठन एवं आगे वर्णित व्यवस्थाओं की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :

1. एन0सी0आर0 (उत्तर प्रदेश) - अध्यक्ष
2. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर - सदस्य  
विकास, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि
3. प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि सदस्य
4. औद्योगिक विकास आयुक्त के प्रतिनिधि सदस्य
5. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन सदस्य
6. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ सदस्य
7. आयुक्त, सहारनपुर मंडल सदस्य
8. आयुक्त, आगरा मंडल सदस्य
9. निदेशक, प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाव सदस्य

(राज्य नियोजन संस्थान)

10. सभी क्रियान्वयन संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० सदस्य
12. निदेशक (वितरण) उ० प्र० विद्युत निगम सदस्य
13. मुख्य अभियन्ता (नियोजन), लोक निर्माण विभाग सदस्य
14. मुख्य अभियन्ता, जल निगम, उ०प्र० (पश्चिमी क्षेत्र) सदस्य
15. क्षेत्रीय नियोजन क्षेत्र में विख्यात दो विशेषज्ञ सदस्य
16. अध्यक्ष की अनुमति से को-ऑप्टेड सदस्य
17. आयुक्त, एन०सी०आर० (उ०प्र०) सदस्य सचिव

इस समन्वय परिषद की बैठक प्रत्येक त्रैमास से कम से कम एक बार होगी।

3— एन०सी०आर० समन्वय परिषद का मुख्य कार्य उत्तर प्रदेश प्रभाग में विकास योजनाओं के लिए रणनीति निर्धारण करना, परियोजनाओं की शासन की ओर से स्वीकृति प्रदान करना तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वय तथा अनुश्रवण करना होगा।

4— उत्तर प्रदेश एन०सी०आर० उपक्षेत्र के उद्देश्य, कार्यात्मक रणनीति, मुख्य कार्य तथा क्रियान्वयन नीतियाँ संलग्नक-1 में दी गई हैं। एन०सी०आर० नियोजन प्रकोष्ठ के सुदृढीकरण के विषय में यह भी सैद्धान्तिक सहमति दी जाती है कि इस हेतु जिन भौतिक व वित्तीय संसाधनों की अतिरिक्त आवश्यकता है, उनके लिए एन०सी०आर० प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये, तदोपरान्त ही राज्य सरकार उस सीमा तक प्रतिपूर्ति के आधार पर धनराशि की व्यवस्था कर सकेगा।

5— जो परियोजनाएं एन०सी०आर० प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित की जानी हैं वे अब उपरोक्त समन्वय परिषद के अनुमोदनोपरान्त राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत मानी जायेंगी।

6— समन्वय परिषद को प्रभावी बनाने के लिए निर्णय लिया गया कि एन०सी०आर० (उ०प्र०) आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वे आवास एवं नगर विकास विभाग के अधीन आने वाली कार्यदायी संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समानान्तर गोपनीय प्रवृष्टि दे सकें। यदि ऐसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन०सी०आर०, (उ०प्र०) के आयुक्त से वरिष्ठ हैं तो यह प्रवृष्टि एन०सी०आर० (उ०प्र०) के अध्यक्ष द्वारा दी जा सकेगी। यही व्यवस्था उन परियोजना प्रबन्धकों के लिए भी लागू होगी जो अन्य विभागों से सम्बन्धित हैं परन्तु एन०सी०आर० (उ०प्र०) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी हैं।

7- आयुक्त एन0सी0आर0 (उ0प्र0) को आवास विभाग में पदेन सचिव घोषित किया जाता है ताकि उनके द्वारा सीधे पत्रावली पर प्रस्ताव शासन में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जा सकें।

संलग्नक - यथोपरि (1)

भोलानाथ तिवारी  
मुख्य सचिव

संख्या - 1434(1)/9आ-1-2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सदस्य, सचिव, एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, एन.सी.आर. उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग को प्रतिनिधि नामित करने हेतु।
5. औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0 प्र0 शासन को प्रतिनिधि नामित करने हेतु।
6. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन।
7. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
8. आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
9. समस्त क्रियान्वयन संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
10. आयुक्त, एन.सी.आर. उत्तर प्रदेश।
11. सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
13. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
15. निदेशक (वितरण), उत्तर प्रदेश विद्युत निगम।
16. मुख्य अभियन्ता (नियोजन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
17. मुख्य अभियन्ता, जल निगम, उत्तर प्रदेश (पश्चिमी क्षेत्र)।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव

संलग्नक -1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (उ0 प्र0)

1. उद्देश्य : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय योजना के अनुरूप उत्तर-प्रदेश प्रभाग में समग्र नियोजित विकास के लिए उ0प्र0 शासन के आवास-विभाग को नियोजन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना जिससे कि उपक्षेत्र के समग्र विकास से लोक-जीवन में गुणात्मक प्रगति हो सके।

**2. कार्यात्मक रणनीति :** मुख्य रूप से एक विशेषज्ञ समूह तैयार करना जो कि उपक्षेत्र के अन्तर्गत सभी क्षेत्रीय एवं स्थानीय अभिकरणों के लिए समीचीन विकास योजनाएं एवं परियोजनायें तैयार करने तथा उनको क्रियान्वित करने में सक्रिय तकनीकी, प्रशासनिक एवं प्रबन्धनीय सहयोग कर सकें। यह विशेषज्ञ समूह आधुनिक नगरीय एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन प्रबन्धन में सक्रिय सलाहकार के रूप में कार्य करेगा तथा नवीनतम तकनीकी के माध्यम से अनुश्रवण एवं समन्वय में भी सहयोग के लिये उत्तरदायी होगा, जिससे कि जन कल्याण योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो सके।

**3. मुख्य कार्य :** उपरोक्त वर्णित कार्यात्मक रणनीति के संदर्भ में एन.सी.आर (उ0प्र0) कार्यालय में मुख्य रूप से निम्नांकित कार्य किये जायेंगे :-

(1) अपनी तकनीकी विशेषता का निरन्तर उपयोग एवं संवर्धन करते हुये उपक्षेत्र में सभी विकास कार्य हेतु प्रदेश के आवास विभाग के लिए मुख्य नोडल तकनीकी संस्था के रूप में कार्य करना।

(2) यथावश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा उपक्षेत्र में सभी स्थानीय निकायों/क्रियान्वयन अभिकरणों की तकनीकी कार्यक्षमता का विकास करने में सहयोग करना।

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली की योजना एवं नीति के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी से स्थानान्तरित होने वाली औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रियाओं को उपक्षेत्र में पुनर्स्थापित करने के लिए स्थानीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना एवं इन क्रियाकलापों को आकर्षित करने हेतु अधोसंरचनात्मक ढांचे के विकास की योजनायें तैयार कराकर क्रियान्वित कराना।

(4) उत्तर-प्रदेश प्रभाग के लिए स्वीकृत उपक्षेत्रीय योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित सभी स्थानीय अभिकरणों को उपयुक्त परियाजनायें एवं कार्यक्रम करने में सहयोग करना।

(5) उपक्षेत्रीय योजना के संदर्भ में उपक्षेत्र के सभी मुख्य नगरों की महायोजना, जोनल विकास योजना, आदि तैयार करना।

(6) विकास अभिकरणों/विभागों द्वारा बनाई गई परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति एवं सहयोग के लिए प्रदेश के आवास विभाग की ओर से एन.सी.आर.योजना बोर्ड, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करना।

(7) एन. सी. आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली के सहयोग से स्थानीय निकायों/विकास अभिकरणों में नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु नोडल संस्था के रूप में कार्य करना।

(8) उपक्षेत्र के अन्तर्गत सभी विकास अभिकरणों के कार्यों तथा एन. सी. आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का नियमित अनुश्रवण एवं समन्वय करना।

**4. क्रियान्वयन नीतियां :** उपरोक्त वर्णित कार्यों का क्रियान्वयन निम्नांकित नीतियों के माध्यम से किया जायेगा :

(1) **मानव संसाधन :** क्षेत्रीय नियोजन एवं प्रबन्धन विशेषज्ञता इस संस्था का मुख्य आधार होगा। इसके नियमित सुदृढीकरण एवं संवर्धन हेतु कार्यालय में कार्यरत नियोजन विशेषज्ञों के लिए

समय-समय पर उच्च प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी तथा यथावश्यक नियोजन क्षेत्र से प्रख्यात विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा। कार्यालय में प्रशासनिक सहयोग के लिए आधुनिक कार्यालय-प्रबन्धन में प्रशिक्षित कार्मिकों का एक छोटा सा समूह होगा, जो उपक्षेत्र की कार्यकारी संस्थाओं को इससे संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।

(2) भौतिक संसाधन : एन. सी. आर. (उ०प्र०) का कार्यालय गाजियाबाद में होगा। कार्यालय में समय की आवश्यकता के अनुरूप मशीनरी, उपकरणों एवं सामग्री का उपयोग किया जायेगा।

(4) वित्तीय-व्यवस्था : कार्यालय की अवस्थापना तथा कार्यालय में कार्मिकों एवं आवश्यक मशीनरी/सामग्री पर होने वाले समस्त व्यय की व्यवस्था हेतु एन. सी. आर. योजना बोर्ड, नई दिल्ली से वित्त पोषण प्राप्त किया जायेगा।

**National Capital Region Planning Board,**  
(Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation)  
**India Habitat Centre, Ist Floor, Zone- IV,**  
Lodhi Road, New Delhi-110003.  
Fax No. 4642163

**File No. K-14011/47JD(T)/2001/NCRPB Dated 8-8-2001**

### **Office Memorandum**

**Sub : Constitution of Study Groups on Common Economic Zone for National Capital Region.**

#### **Background**

The NCR concept which was conceived in the First Master Plan of Delhi in 1962 and given a concrete shape with the setting up of the statutory NCR Planning Board, opened a new vista for inter-State co-operation and planned development through harmonisation of policies & balanced regional development.

2. The region covers an area of 30,242 sq. kms. which includes the entire NCT Delhi (1483 sq. km.) and parts of the three adjoining States of Haryana (13,413 sq. km.) Rajasthan (4,493 sq. km.) and Uttar Pradesh (10,853 sq. km.)

3. The Regional Plan 2001, Sub-regional Plans and Functional Plans on Transport (1995), Power (1996), Telecommunication (1997), and Industry (1998) were to achieve the common objectives through systematic development. During the implementation of the Plan, it was felt that there was a need for creating a Common Economic Zone' (CEZ) for achieving the objectives. This was discussed in a meeting taken by the Prime Minister and he desired that the matter be examined.

4. The idea was further explored in a meeting held under the Chairmanship of Shri Jagmohan, Hon'ble Minister for Urban Development & Poverty Alleviation on 31-5-2001 with the State Chief Secretaries and Secretaries of the concerned Central Ministries. They welcomed the concept of a Common Economic Zone' for the NCR. It was felt that the

details related of creating a Common Economic Zone' (CEZ) could be discussed in Study Groups to be set up so that strategies could be worked out.

### **Concept**

5. Since NCR is an inter-state region, the various State Governments have, from time to time, put in place policies to woo the economic activities in their respective areas. These measures have often led to serious imbalances in the location of economic activities. Such measures have included fiscal concessions, lower tax rates, educational requirements. etc.

6. To usher in balanced and harmonised development of the region, it is necessary to look at the NCR as a unified area, not only for spatial development but also to achieve uniformity in fiscal policies and a common purpose. This objective is possible only by treating NCR as one economic/one opportunity zone.

Scope :

7. The CEZ broadly includes the following aspects :

- Rationalisation of Tax Structure.
- Extending Uniform Financial/Banking services
- Integrated Rail & Road Transport Network
- Removing the restrictions on Inter-State movement of Taxis, Auto Rickshaws, Buses etc. between the NCR States
- Providing Uniform Telecom Facilities
- Uniform Power Supply
- Developing an Integrated water Supply and Drainage System.
- Integrated Education Policy.
- Integrated Health Policy.
- Integrated approach for Pollution Control
- Integrated Law and Order Machinery
- Provision of adequate financial resources in sub-component plans of participating States and concerned Central Ministries.

Composition Terms of Reference of Study-groups :

8. The composition of Study-group (s), broad issues and action areas is at Annexure - I.

9. The Study-groups will be empowered to constitute such sub-groups/sub-committees as it may deem necessary consisting of officials and non-officials to examine one or more issues germane to its functioning to achieve these objectives.

10. The Study-groups may also co-opt one or more persons as its member (s) if necessary for the satisfactory completion of the task entrusted to it.



11. The secretarial support for the Study-groups shall be provided by the NCR Planning Board.

**Ashok Jha**

**Member Secretary**

Copy to : All members.

**Shri A.K. Gupta,**

**Secretary (Urban Development),  
Govt. of Uttar Pradesh,  
Sachivalaya Bhavan,  
Lucknow (U.P.)**

## **Annexure - I**

Study Group - Provision of adequate financial resources in subcomponent plans of participating States and concerned Central Ministries.

### **Composition :**

- 1- Member Secretary Chairman  
NCR Planning Board
- 2- Secretary, (Urban Development/Housing) Member  
Govt. of NCT Delhi
- 3- Secretary, (Urban Development/Housing) Member  
Govt. of Haryana
- 4- Secretary, (Urban Development/Housing) Member  
Govt. of Rajasthan
- 5- Secretary, (Urban Development/Housing) Member  
Govt. of Uttar Pradesh
- 6- Advisor (HUD),  
Planning Commission, GOI
- 7- Joint Secretary & Financial Advisor,  
M/o UD & PA, GOI
- 8- Smt. Shashi Bala Srivastava, Member - Convenor  
Director, NCRPB

### **Key issues and Action areas**

Provision of adequate financial Resources for implementing the development programmes in NCR.

**Key issues :** (i) Under Section 7 of the NCRPB Act, 1985 the Board has been assigned besides others the function to arrange and oversee the financing of selected development projects in the NCR through Central & State plan funds and other sources of revenue.

(ii) In order to augment long term financial resources and implement the regional development projects envisaged in the Plans, the NCR Planning Board has prepared Fiscal Plan for IX and X Plan period which worked out in detail the investment requirements and the modes of resource generation through various agencies and sectors. The Fiscal Plan was based on the recommendations of the Sub-group on NCR constituted under the Working Group on infrastructure set-up by the Planning Commission for the 9th Plan.

(iii) The amount released by the Ministry of Urban Development to the NCRPB during 7th Plan (1985-90) was only Rs. 29-67 crores as against allocation of Rs. 35Cr. In the subsequent Annual Plan 1990-91, 1991-92, an amount of Rs. 10 crs. and Rs. 12.25 crs. were released respectively. During the 8th Plan (1992-97) the Ministry released an amount of Rs. 174 crs. as against the allocation of Rs. 200 crs. For the 9th Plan period the NCRPB has requested for budgetary support of Rs. 800 crs. but an allocation of Rs. 200 crs. has been made. Out of which Rs. 174 crs. has been released from 1998-2001.

As no infrastructure development could be done in the NCR area with such meagre resources the dependency on IEBR has increased. In the year 1997-98 NCRPB has raised Rs. 226-40 crs. through taxable and taxfee bonds and similarly in the 1998-99 Rs. 284 crs. were raised through taxable and taxfree bonds. In the Annual Plan 1999-2000, the Board had requested for an allocation Rs. 137 crs. through taxfree bonds and Rs. 147 crs. through taxable bonds. But the Board has not received any allocation towards taxfree bonds and hence restrained itself in raising comparatively costly taxable bonds from the market.

It is extremely important that the cost of raising bonds/funds by NCR Planning Board should be as low as possible so that the repayment of loan by participating States, taken for the schemes with the long gestation period and low return, is made easy and financially viable. Unless this is ensured, States within NCR would be reluctant to take the loan assistance and this will be contrary to the interest and achieving the goals and objectives set forth in the Regional Plan - 2001. The lending rate of interest is based on the cost of raising bonds from the market and hence this cannot be less than the cost of raising such funds unless (i) the grant from the Ministry is substantially increased to bridge the gap in the interest rate, (ii) permission to raise taxfree bonds in substantial quantity is granted to NCRPB and (iii) development programme in the NCR should be granted the status of priority sector and be declared as eligible for institutional loans at concessional rate of interest.

Action areas : - Planning Commission should ensure that each of the Central Ministries and the member States structure separate NCR Sub-component Plans within their respective Five Year/Annual Plans incorporating in them the envisaged development programmes together with the requisite financial allocations so that such Sub-component plans aggregate to the NCR Component Plan at the National level.

- The grant from the Ministry is substantially increased to bridge the gap in the interest rate.

- Permission to raise taxfree bonds in substantial quantity be given so that NCRPB could provide funds at a lower rate of interest, payable on longer period, as the gestation period of many NCR development projects, especially infrastructure projects are of longer duration.

- Development programme in the NCR should be granted the status of Priority Sector and be declared as eligible for institutional loans at concessional rate of interest.